



प्रेस नोट - दिनांक 10.04.2025

थाना असोहा ,जनपद उन्नाव ।

एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.04.2025 को थानाध्यक्ष विमलकान्त गोयल मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र लालबहादुर निवासी ग्राम सूबेदारखेडा थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र लगभग 28 वर्ष से सम्बन्धित मु.नं. 2239/21 धारा 323/504/506 IPC को ग्राम सूबेदारखेडा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुनील कुमार पुत्र लालबहादुर निवासी ग्राम सूबेदारखेडा थाना असोहा जनपद उन्नाव उम्र लगभग 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष विमलकान्त गोयल
2. उ0नि0 श्री नन्हेलाल पाल
3. का0 रोहित कुमार
4. का0 माँधव पाँचाल





प्रेस नोट - दिनांक 10.04.2025

थाना बेहटामुजावर, जनपद उन्नाव ।

दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटामुजावर पुलिस द्वारा दहेज हत्या की वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.01.2025 को वादी श्री योगेश यादव पुत्र रामनरेश नि० मोहल्ला लोकनगर उन्नाव थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव ने तहरीरी सूचना दी कि मेरी बहन सबिता उम्र करीब 27 वर्ष की शादी दिनांक 05.7.2018 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सचिन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम माखनखेडा थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के साथ की थी। उसके ससुराल वालो ने दहेज को लेकर जान से मार दिया है। तहरीर के आधार पर थाना बेहटामुजावर पर मु०अ०सं० 21/2025 धारा 80(2)/85 B.N.S. व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 01. सचिन पुत्र रामकुमार (पति) 02. रामकुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद (ससुर) 03. विपिन पुत्र रामकुमार (जेठ) 04. मिथलेश पत्नी रामकुमार (सास) 05. मोनी पत्नी विनोद (जेठानी) 06. शिवम पुत्र रामकुमार (देवर) 07. आकांक्षा पुत्री रामकुमार (ननद) निवासीगण ग्राम माखन खेडा थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में 01. सचिन पुत्र रामकुमार उपरोक्त को दिनांक 30.01.2025 को तथा 02. रामकुमार उपरोक्त को दिनांक 08.02.2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दिनांक 09.04.2025 को उ०नि० श्री सुनील सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता मिथलेश उर्फ राजेश्वरी पत्नी रामकुमार नि० ग्राम माखनखेडा थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 62 वर्ष को मटुकरी चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मिथलेश उर्फ राजेश्वरी पत्नी रामकुमार नि० ग्राम माखनखेडा थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र करीब 62 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० सुनील कुमार
- 2.का० कपिल मावी
- 3.म०हे०का० सुनीता वर्मा





प्रेस नोट - दिनांक 10.04.2025

थाना बारासगवर ,जनपद उन्नाव ।

गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बारासगवर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.04.2025 को थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्रनाथ मिश्र मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा थाना बिहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 08/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी एवं क्रियाकलाप नि0 अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र कल्लू उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम दैता थाना बिहार जनपद उन्नाव को ग्राम कुम्भी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सूरज पुत्र कल्लू उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम दैता थाना बिहार जनपद उन्नाव ।

अपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 222/24 धारा 309(4)/317(2)/109/3(5) BNS थाना बिहार,
- 2.मु0अ0सं0 08/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी एवं क्रियाकलाप नि0 अधि0 थाना बिहार

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्रनाथ मिश्र
- 2.हे0का0 चन्द्रेश कुमार
- 3.का0 नीरज यादव
- 4.का0 नरेन्द्र सिंह ।



